# भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 04B/2017-18

निनो देवी **बनाम** घनपत महतो

## :: आदेश::

| दिनांक | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 9.10.2017 | अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 516 दिनांक 21.06.2017 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 04 B/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता निनो देवी पति स्व0 नलिन नायक ग्राम–कुली, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता घनपत महतो पिता स्व0 शंकर महतो, ग्राम–रेंगोगोड़ा, थाना–खरसावाँ, जिला–सरायकेला–खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:– | |

| मौजा | थाना न0 | खाता न0 | खेसरा न0 | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| पाम्पड़ा | 318 | 2 | 178 | 1.04ए0 |

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के ससुर दुर्योधन नायक एवं अन्य के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहती हैं। आवेदिका के हिस्से में 4.80 एकड़ जमीन है, जिसमें से 1.04 ए0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 3.76 एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता की जाति 'भुईया' जो अनुसूचित जाति एवं क्रेता की जाति 'कुर्मी ' जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्ष अलग–अलग कोटि होने के कारण भूमि बिक्री करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

9/10/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।